समाचार

कोविड प्रोटोकाल का पालन कराने निगम अमला सक्रिय

(मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने हेतु दी जा रही समझाईश)

कोरबा 26 अप्रैल 2022 — कलेक्टर श्रीमती रानू साहू के मार्गदर्शन एवं निगम आयुक्त श्री प्रभाकर पाण्डेय के दिशा निर्देशन में नगर पालिक निगम कोरबा के मैदानी अमले ने कोविड प्रोटोकाल का पालन कराने, मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने हेतु आज सार्वजनिक स्थानों, चौक—चौराहों, व्यवसायिक क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों को समझाईश दी तथा कोरोना संक्रमण के प्रति सजग रहने एवं आवश्यक रक्षात्मक उपायों को अपनाने का आग्रह किया।

कोरोना का संक्रमण पुनः प्रसार की ओर होने के मद्देनजर राज्य शासन द्वारा आवश्यक रक्षात्मक उपायों को अपनाए जाने तथा संक्रमण के प्रति सावधानी बरतने हेतु आमजन में जनजागरूकता लाए जाने के निर्देश दिए गए हैं तथा कोविड प्रोटोकाल का पालन कराने हेतु निर्देशित किया गया है, जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक स्थलों, कार्यालय, अस्पतालों, बाजारों एवं भीड़भाड़ वाले स्थानों, गलियों में आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मास्क फेसकवर धारण किया जाना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार कार्यालय, कार्य स्थल, फैक्ट्री आदि में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मास्क फेसकवर धारण करना भी अनिवार्य होगा, वहीं सार्वजनिक स्थानों पर थूंकना प्रतिबंधित किया गया है, दुकानों, व्यवसायिक संस्थानों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग संबंधी दिशा निर्देशों का पालन कराया जाना भी अनिवार्य होगा, साथ ही होम क्वारन्टाईन

में रहने वाले व्यक्तियों को शासन द्वारा समय–समय पर जारी होम क्वारन्टाईन संबंधी समस्त दिशा निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। शासन से प्राप्त दिशा निर्देशों के परिपालन में प्रशासन आवश्यक कार्यवाही हेतु सक्रिय हो गया है। आज नगर पालिक निगम कोरबा के मैदानी अमले ने निगम के सभी 08 जोन के अंतर्गत सक्रिय रहकर लोगों को घर से बाहर निकल कर सार्वजनिक स्थानों में पहुंचने पर मास्क लगाने एवं सार्वजनिक स्थानों पर न थूंकने की समझाईश दी, निगम अमले ने दुकानों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में जाकर व्यवसायियों से अपील की कि वे अपने दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य रूप से अपनाएं, इस हेतु दुकानों में आवश्यक व्यवस्थाएं करें, दुकानों में पहुंचने वाले ग्राहकों से मास्क लगाने का अनुरोध करें।

आमजन को निरंतर समझाईश दें– आयुक्त श्री प्रभाकर पाण्डेय ने निगम के सभी जोन कमिश्नरों व मैदानी अमले को दिशा निर्देश देते हुए कहा है कि वे अपने–अपने क्षेत्रों में सतत रूप से सक्रिय रहकर आमजन को कोविड प्रोटोकाल का पालन करने, मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने के संबंध में लगातार समझाईश दें तथा उनका पालन कराएं। उन्होने निगम कार्यालय साकेत भवन एवं सभी जोन कार्यालयों व फील्ड में पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि वे कार्य स्थलों में अनिवार्य रूप से मास्क लगाएं तथा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपना कार्य संपादन करें।

किया गया मास्क का वितरण– निगम अमले द्वारा सड़कों, सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क पहने पहुंचने वाले लोगों को मास्क का वितरण किया गया तथा उन्हें हिदायत दी कि वे मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकले। कोरोना का संक्रमण पुनः प्रसार की ओर है, अतः संक्रमण से बचने हेतु सावधानी बरतें, सार्वजनिक स्थानों, दुकानों आदि में सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं तथा कोविड प्रोटोकाल का पालन करें।

सी.एण्ड डी.वेस्ट पर कार्यवाही– सड़कों पर सी.एण्ड डी.वेस्ट व भवन निर्माण सामग्री डम्प किए जाने पर आज निगम अमले द्वारा अर्थदण्ड की कार्यवाही की गई। टी.पी.नगर जोनांतर्गत 01 व्यक्ति द्वारा सी.एण्ड डी.वेस्ट मटेरियल का प्रबंधन नहीं किया गया था, सड़क के किनारे सी.एण्ड डी.वेस्ट डम्प था, जिस पर निगम अमले ने मौके पर पहुंचकर 500 रूपये का अर्थदण्ड लगाया तथा सी.एण्ड डी.वेस्ट का प्रबंधन कराया।